# यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्टिंग के संबंध में दिशा-निर्देश

निम्नलिखित दिशा-निर्देशों में, "यौन उत्पीड़न" शब्द के अर्थ में कानून में विहित दंडनीय अपराधों के अलावा निम्नलिखित सभी प्रकार के अवाँछनीय समझे जानेवाले यौन विषयक व्यवहार (सीधे तौर पर या इस आशय से किये गये व्यवहार) शामिल होंगे—(1) शारीरिक स्पर्श, कामुक पेशकश, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न आदि; या (2) यौन संबंध की मांग या अनुरोध; या (3) यौन आशय से की गयी टिप्पणियां; या (4) अश्लील साहित्य/सामग्री दिखाना; या (5) एसिड हमले; या (6) किसी अन्य प्रकार का अवाँछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक यौन विषयक आचरण।

1. न्यूज चैनलों को इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि अपराध समाचारों का कवरेज दर्शकों की मनोवृत्ति को प्रभावित करता है और ऐसे अपराधों के बारे में जनता की समझ पर उसका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है।
2. यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में, न्यूज चैनलों को पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार की निजता के अधिकार और जनहित के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बना कर चलना चाहिए।
3. न्यूज चैनलों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन सम्बन्धी उत्पीड़न, हिंसा, आक्रमण और आघात से पीड़ित अथवा ऐसे किसी भी तरह के कृत्य के गवाह को, जो पीड़ित से संबंधित हो, किसी समाचार रिपोर्ट या कार्यक्रम में उसकी पहचान छिपाये बगैर नहीं पेश किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुरूप पीड़ित को दिखाने वाले दृश्यों को पूरी तरह से धुँधला कर या ढक कर दिखाया जाना चाहिए (ताकि उसकी पहचान किसी प्रकार भी उजागर न हो सके)।
4. महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न, बाल दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों और किशोर अपराधियों से सम्बन्धित मामलों की रिपोर्टिंग में उनकी निजता का ख़याल रखते हुए उनका नाम, फ़ोटोग्राफ़ और ऐसे किसी अन्य विवरण को बताया या प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनकी या उनके परिवार के सदस्यों की पहचान किसी रूप में उजागर होती हो।
5. न्यूज चैनलों को संवेदनशीलता, विवेक और समुचित न्यायसंगतता का खास ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में:

   5.1 जब यौन उत्पीड़न के विवरण का खुलासा होने पर पीड़ित व्यक्ति के ज़ख़्मों के फिर से हरे हो जाने की आशंका हो।

   5.2 जब यौन उत्पीड़न के विवरण का खुलासा करना सुरक्षित माहौल को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।
6. न्यूज चैनलों को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 228 ए और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 21 के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसके तहत किशोर अपराधियों व यौन हिंसा व उत्पीड़न के शिकार व्यक्तियों की पहचान क़तई उजागर नहीं की जा सकती।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 7 जनवरी 2013